सं0सं0–6 / एन0–08–97 / 2011–.......

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना
आदेश

राम कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट फॉर यूथ, पटना सिटी द्वारा प्रस्तावित माँ कांति स्कूल ऑफ नर्सिंग, गुरहट्टा, पटना सिटी–800008 का पूर्व निर्गत विभागीय ज्ञापांक 920(6), दिनांक 28.12.2011, 506(6), दिनांक 03.12.2013 के आलोक में गठित निरीक्षण दलों की अनुशंसाओं एवं विभागीय ज्ञापांक 55 / जे0एस0सी0 दिनांक 16.07.2014 के आलोक में कराये गये औचक निरीक्षण के उपरांत श्री यशस्पति मिश्रा, उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 24 / उ0स0को0, दिनांक 17.07.2014 के माध्यम से प्राप्त औचक निरीक्षण प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त उक्त प्रशिक्षण स्कूल को 30 (तीस) छात्राओं के नामांकन के साथ ए0एन0एम0 प्रशिक्षण पाठयक्रम प्रारंभ करने हेतु निम्न शर्तो पर औपबंधिक रूप से एक सत्र (2015–17) के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

(क) उक्त संस्थान 6 माह के अन्दर भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली से अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(ख) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, पटना समय–समय पर गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) संस्थान द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997, एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) संस्था की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल पटना (ii) सिविल सर्जन पटना तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी पटना को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : सं0सं0–6 / एन0–08–97 / 2011–23(6) पटना दिनांक– 20.01.2015

प्रतिलिपिः– पंकज कुमार, सचिव, राम कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट फॉर यूथ, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली / निबंधक, परिचारिका निबंधन परिषद बिहार, पटना / क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वा0से0 पटना प्रमंडल, पटना / सिविल सर्जन, पटना / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।